न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 57 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांट

1. आईदानराम पुत्र भैराराम जाति जाट निवासी कालेवा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर
2. भगवानसिंह पुत्र अचलसिंह
3. सवाईसिंह पुत्र अचलसिंह
4. उमा कंवर बैवा अचलसिंह
5. अभयसिंह पुत्र मंगलसिंह
6. गंगासिंह पुत्र मंगलसिंह
7. रामसिंह पुत्र मंगलसिंह
8. कल्याणसिंह पुत्र मंगलसिंह
9. तगसिंह पुत्र मोतसिंह
10. विशनसिंह पुत्र मोतीसिंह
11. अभुकंवर पत्नी मोतीसिंह
12. दलपतसिंह पुत्र फतेहसिंह
13. गुमानसिंह पुत्र फतेहसिंह
14. हवाकंवर बैवा फतेहसिंह
15. प्रतापसिंह पुत्र नारायणसिंह
16. स्वरूपसिंह पुत्र नारायणसिंह
17. नखतकंवर बैवा नारायणसिंह

    जातियान राजपूत निवासियान कालेवा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर।
18. नारणाराम पुत्र मगाराम जाति जाट
19. खेतू बैवा मगाराम जाति जाट

    निवासी कालेवा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर।

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.चुतराराम पुत्र आदाराम

2.गंगाराम पुत्र आदाराम

3.चेनाराम पुत्र आदाराम

जातियान जाट निवासियान कंवरली तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

4.नखतसिंह पुत्र नवलसिंह जाति राजपूत

5.हुक्माराम पुत्र खेमाराम

6.बाबूराम पुत्र खेमाराम

7.मोहनराम पुत्र खेमाराम

8.मिरगादेवी पत्नी खेमाराम

9.पप्पाराम पुत्र पूनमाराम

10.गेरादेवी पत्नी पूनमाराम जाति

11.भवानीसिंह पुत्र भूरसिंह

12.हीरसिंह पुत्र भूरसिंह

13.वेरीशालसिंह पुत्र भूरसिंह

14.सुमेरसिंह पुत्र भूरसिंह

15.लक्षमणसिंह पुत्र नरपतसिंह

16.उत्तमसिंह पुत्र नाथूसिंह

17.अर्जुनसिंह पुत्र नवलसिंह

18.जसवंतसिंह पुत्र नवलसिंह

19.जालमसिंह पुत्र भीमसिंह

20.हरीसिंह पुत्र भीमसिंह

21.खुमाणसिंह पुत्र भीमसिंह

22.चदनसिंह पुत्र मूलसिंह

23.लालसिंह पुत्र मूलसिंह

24.सांगसिंह पुत्र इन्द्रसिंह

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

25.पदमसिंह पुत्र इन्द्रसिंह
26.छगनकंवर बैवा इन्द्रसिंह
27.शैतानसिंह पुत्र बुधसिंह
28.रतनसिंह पुत्र कूंपसिंह
29.कानसिंह पुत्र कूंपसिंह
30.चंदनसिंह पुत्र कूंपसिंह
31.जालमसिंह पुत्र कूंपसिंह
32.राणसिंह पुत्र रेवतसिंह
33.मनोहरसिंह पुत्र रेवतसिंह
34.छतरसिंह पुत्र रेवतसिंह
35.रघुवीरसिंह पुत्र रेवतसिंह
36.अमरसिंह पुत्र रेवतसिंह
कालेवा तहसील पचपदरा
जिला बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व मुकदमा संख्या 315/2016 बअनवान चुतराराम वगै. बनाम आईदानराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 17.04.2017 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री रतनलाल चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री देवीसिंह महेचा रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 03.12.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने खातेदारी भूमि में आवागमन का रास्ता उपलब्ध होते हुए एक प्रार्थना—पत्र अंतर्गत धारा 251 ए रा.का.अ. प्रस्तुत कर व्यक्त किया कि हमारी जोत खसरा संख्या 659 व 701 में आवागमन हेतु ग्राम क्यार से कालेवा ग्राम पंचायत मुख्यालय जाने वाले मुरड़िया रोड़ तक खसरा संख्या 701 रकबा 128.03 बीघा, खसरा संख्या 702 रकबा 62.17 बीघा व खसरा संख्या 712 रकबा 22.01 बीघा में से 22 फीट चौड़ाई में प्रार्थीगण रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 के खसरा संख्या 659 व 701 जोत तक आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु नया रास्ता घोषित कराने हेतु प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के पीठ पीछे तैयार एकपक्षीय मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो बिना

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

किसी युक्तिसंगत आधार एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो को नजरअंदाज कर अपीलांटगण की खातेदारी भूमि में से नया रास्ता उपलब्ध कराने का आदेश पारित किया गया। अपीलांटगण को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई है वह मौका पर जाकर नहीं बनाई गई है एवं तहसीलदार पचपदरा ने अपीलांट को बिना सूचित किये एवं बिना मौके पर जाये अपने अधीनस्थ कार्मिकों के द्वारा पेश मौका रिपोर्ट को प्रतिहस्ताक्षर कर अधीनस्थ न्यायालय में पेश की जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। रेस्पोडेंट द्वारा जहां रास्ता चाहा गया है वहा पर ग्रेवल सड़क से जुड़ा है। रेस्पोडेंट/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांटगण को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। तहसीलदार पचपदरा स्वयं द्वारा मौके पर जाये बिना मौका रिपोर्ट पर केवल प्रतिहस्ताक्षर किये तथा न्यायालय में पेश किया जो मौका रिपोर्ट एकपक्षीय बनाई गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई है वह मौका पर जाकर नहीं बनाई गई है एवं तहसीलदार पचपदरा ने अपीलांट को बिना सूचित किये अधीनस्थ कार्मिकों द्वारा मौका रिपोर्ट को अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा जिस रास्ते को वैकल्पिक रास्ता बताया जा रहा है व उबड़–खाबड़ एवं धोरा होने से समतल भूमि

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पर रास्ता चाहा गया है। खसरा संख्या 659 ग्रेवल सड़क में नहीं जुड़ा है ग्रेवल सड़क से केवल खसरा संख्या 701 जुड़ा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खातेदारी भूमि इस रास्ते के अलावा कोई सुगम एवं समतल रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किया

RRT 2017(2) Page 980

अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन रास्ते का आदेश जिस मौका रिपोर्ट के आधार पर किया गया है वह तहसीलदार पचपदरा द्वारा स्वयं मौके पर जाकर नहीं बनाई गई है अपने अधीनस्थ कार्मिकों को द्वारा पेश मौका रिपोर्ट पर प्रतिहस्ताक्षर कर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया है। जिसमें इस बात का कहीं उल्लेख नहीं है कि रेस्पोडेंट/प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा कौई विकल्प रास्ते का नहीं है। खसरा संख्या 659 ग्रेवल सड़क से जुड़ा हुआ है या नहीं इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। इस रिपोर्ट से रेस्पोडेंट/प्रार्थी की रास्ते लेने की नीयत साफ नहीं झलकती है। रेस्पोडेंट/प्रार्थी की गैर कानूनी मांग स्वीकार्य नहीं हैं। रेस्पोडेंट/प्रार्थी द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत आज की परिस्थिति में प्रकरण में छस्पा नहीं होता है। रेस्पोडेंट/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया जाना ही विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। रेस्पोडेंट/प्रार्थी खसरा संख्या 701 में सहखातेदार के रूप में दर्ज है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश में आवेदको ने अपनी खातेदारी भूमि में से रास्ते हेतु 2 गट्टा चौड़ाई में अपने खसरे मे से देने हेतु सहमति जाहिर की है एवं शेष 2 गट्टा की चौड़ाई पड़ोसियों के खसरे मे से रास्ते की मांग की गई है जबकि जहां तक रास्ता चाहा गया वहा तक आवेदक सहखातेदार रूप में दर्ज भूमि खसरा संख्या 701 का खसरा अवस्थित है फिर भी खसरा संख्या 702, 712 पड़ौसी खातेदारों से रास्ता लेने का औचित्य स्पष्ट नहीं किया गया है। अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन नहीं दिया है जिसमें

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर होती। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व मुकदमा संख्या 315/2016 बअनवान चुतराराम वगै. बनाम आईदानराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 17.04.2017 को अपास्त कर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार पचपदरा स्वयं उभयपक्ष की उपस्थिति में मौका निरीक्षण कर स्पष्ट करे कि खसरा संख्या 702, 712 मे से रास्ते की मांग की गयी जबकि खसरा संख्या 701 में रेस्पोडेंट संख्या 04 स्वयं सहखातेदार के रूप में दर्ज है। खसरा संख्या 702, 712 मे से रास्ते की मांग करने का कारण स्पष्ट नहीं है तथा खसरा संख्या 659 ग्रेवल सड़क से जुड़ता है या नहीं इस पर भी विरोधाभास है। अन्य कोई विकल्प रास्ते के लिए उपयुक्त है या नहीं यदि नहीं है तो क्यों नहीं पूर्ण विस्तृत विवेचन करवा कर अधीनस्थ न्यायालय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के प्रावधानों के अनुसार गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करे।

03/12/19

(नाथूसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 03.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

03/12/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner